बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संचिका सं0–5/स्था०–03–08/2016– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2017

सेवा अपील वाद संख्या–01/2017 श्री इन्द्रासन सिंह बनाम स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश

26.09.2017 प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलार्थी श्री इन्द्रासन सिंह तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल द्वारा दिनांक–08.09.2011 को 2000/–(दो हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया एवं निगरानी थाना काण्ड सं०–064/2011 दिनांक–08.09.2011 दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बिहार सरकारी सेवक (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(2)(क) के तहत् कार्यालय आदेश सं०–1242(5) दिनांक–13.10.2011 द्वारा श्री सिंह को गिरफ्तारी की तिथि 08.09.2011 के प्रभाव से निलंबित करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के आधार पर कार्यालय आदेश सं०–107(5) दिनांक–25.01.2012 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार होने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज होने, इनके विरूद्ध अभियोजन की विभागीय स्वीकृति एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये मूल आरोपों को प्रमाणित प्रतीत बताया गया।

2– संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह से इसपर स्पष्टीकरण/पक्ष की मांग की गई। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इंकार किया गया तथा विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन को त्रूटिपूर्ण बताते हुए विभागीय कार्यवाही एवं निगरानी न्यायालय द्वारा दर्ज मामले दोनों के एक ही विषयवस्तु पर आधारित होने के आलोक में विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने का अनुरोध किया गया। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–3150 दिनांक – 21.03.2007 की कंडिका–2 में प्रावधान है कि लोक सेवक के विरूद्ध सरकारी दायित्वों के निष्पादन में कदाचार, विशेषकर घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के मामले में आपराधिक अभियोजन किये जाते हैं, उन मामलों में भी बिना आपराधिक/फौजदारी मामले के निष्पादन का इंतजार किये स्वतंत्र रूप से विभागीय कार्यवाही चलायी जा सकती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–3150 दिनांक – 21.03.2007 की कंडिका–2 में उक्त वर्णित प्रावधान तथा आरोपी कर्मी द्वारा अपने बचाव में कोई सार्थक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाना एवं मात्र तथ्यहीन एवं सारहीन आक्षेप ही लगाये जाने की स्थिति में श्री सिंह का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14(।।) के तहत सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्हता होगी का दंड विभागीय आदेश सं0–375(5) दिनांक 29.03.2017 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

3– श्री सिंह के द्वारा विभागीय आदेश सं0–375(5) दिनांक 29.03.2017 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचिंत उक्त दंडादेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर अपील की सुनवाई दिनांक–26.07.2017 एवं दिनांक–16.09.2017 को की गई। अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सुनवाई की प्रथम तिथि दिनांक–26.07.2017 को अपीलार्थी एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) उपस्थित हुए। अपीलार्थी द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु कुछ और समय देने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी के अनुरोध को स्वीकारते हुए

अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलीय वाद की सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–16.09.2017 को निर्धारित की गई।

दिनांक–16.09.2017 को निर्धारित तिथि एवं समय पर दोनों पक्ष उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के द्वारा अपना–अपना पक्ष रखा गया। अपीलार्थी श्री सिंह की तरफ से बताया गया कि :–

1. निगरानी दल के पोस्ट ट्रेप मेमोरेन्डम पर दो स्वतंत्र गवाह श्री सत्य नारायण गुप्ता, सहायक स्वास्थ्य विभाग एवं श्री विपीन कुमार, बाह्य व्यक्ति में से श्री विपीन कुमार का साक्ष्यों के परीक्षणार्थ उपस्थित नहीं होना तथा श्री गुप्ता के बयान से गठित आरोप की पुष्टि का ना होना मामले के सम्पूर्ण परिदृश्य की असत्यता का बोध कराता है।
2. शादी योग्य पुत्री सहित आश्रित बच्चों के भविष्य को देखते हुए बर्खास्तगी की अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति के विरूद्ध की गई अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया।

इसके अतिरिक्त श्री सिंह की तरफ से यह भी बताया गया कि –

i. श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप असत्य हैं।
ii. जाँच प्रतिवेदन त्रूटिपूर्ण है।
iii. ट्रैप केश में श्री सिंह की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी साजिश का परिणाम है।

सुनवाई के क्रम में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेज का अवलोकन एवं उनकी समीक्षा की गई। प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि अपीलार्थी आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय आदेश सं0–375(5) दिनांक 29.03.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 (II) के तहत सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्हता होगी का संसूचित दंड समानुपातिक एवं उपयुक्त पाया गया। अपीलार्थी आरोपित कर्मी व इनके प्रतिनिधि अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के क्रम में पुराने आक्षेपो/तथ्यों की पुनरावृति के अतिरिक्त ऐसा कोई भी नया तथ्य सामने नहीं रखा गया जिससे कि संसूचित दंडादेश में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो। फलतः आरोपित कर्मी का यह अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित करें।

ह०/–
(मंगल पांडेय)
मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 5/स्था०–03–08/2016– 1336(5) स्वा०, पटना, दिनांकः–13/10/2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री,स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर), प्रभारी स्थापना (मुख्यालय)/ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05, स्वास्थ्य विभाग/ आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ श्री इन्द्रासन सिंह तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति बर्खास्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

13/10/17
(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।